



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 39]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

सं० 70 / 2015-2020

विषय: प्राधिकार-पत्रों की क्लबिंग की सुविधा के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन।

फा० सं० 01/94/180/384/एएम-19/पीसी-4.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.38 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

पैरा 4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा

- (i) 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों को क्लबिंग की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) क्लबिंग हेतु अनुरोध एएनएफ-4ग में उस संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को करना होगा जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है।
- (iii) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा ऐसे प्राधिकार पत्रों के मोचन/नियमितीकरण हेतु ही उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (iv) क्लबिंग की सुविधा विदेश व्यापार नीति 2009-14 और 2015-20 की अवधि के दौरान जारी वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए भी उपलब्ध होगी, जहां कहीं भी अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार निर्यात और आयात हुआ हो।
- (v) क्लबिंग के लिए केवल उन प्राधिकार पत्रों की अनुमति होगी जिनके तहत सदृश शुल्क छूट का लाभ लिया गया है। ऐसे प्राधिकार पत्र अलग-अलग वित्तीय वर्ष के हो सकते हैं।
- (vi) केवल ऐसे प्राधिकार पत्रों को क्लब किया जाएगा जिन्हें सबसे पहले के प्राधिकार पत्र जिसे क्लब किया जाना अपेक्षित है, के जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर जारी किया गया हो, चाहे ऐसे प्राधिकार पत्र मान्य हो या न हो। यह इस शर्त के अधधीन भी है कि क्लबिंग करने पर सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर किए गए आयात पर ही विचार किया जाएगा। सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी आयात को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के अंतर्गत नियमित किया जाएगा।
- (vii) प्रत्येक प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक अथवा विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर किए गए निर्यात (प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के प्रावधानों के अनुसार संघटन शुल्क के भुगतान के बाद) को क्लब किया जाएगा।
- (viii) क्लबिंग करने पर यदि मूल्य या मात्रा में कमी पायी जाती है तो उसे प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।
- (ix) अलग-अलग निर्यात दायित्व अवधि के साथ जारी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की भी अनुमति होगी।
- (x) निविष्टियों जो सभी प्राधिकार पत्रों के लिए सामान्य है, को क्लब किया जाएगा और मानदंड समिति द्वारा निर्धारित सिओन/तदर्थ मानदंडों के अनुसार शुल्क मुक्त निविष्टियों का हिसाब किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सभी प्राधिकार पत्रों में शामिल सभी निविष्टियों का समान होना आवश्यक नहीं है।
- (xi) क्लबिंग करने पर निर्यात उत्पाद के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं में यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन को बनाए रखना होगा।
- (xii) क्लबिंग के बाद प्राधिकार पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकार पत्र के रूप में मान्य माना जाएगा। प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के बाद परिकलित कुल सीआईएफ और कुल एफओबी के आधार पर मूल्य संवर्धन की गणना की जाएगी।
- (xiii) पूर्व के प्रावधानों के अनुसार क्लब किए गए सभी मामलों को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा।
- (xiv) उन प्राधिकार पत्रों के संबंध में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी गलत तथ्य/धोखा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, उन प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति नहीं होगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है या न्यायनिर्णय आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।
- (xv) परिशिष्ट-30क (एफटीपी 2009-14 के तहत जारी)/परिशिष्ट 4अ (एफटीपी 2015-20 के तहत जारी) के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों तथा 18 महीने से कम ईओपी के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान:
- (क) क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि की गणना सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से की जाएगी।
- (ख) ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी निर्यात क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्र में सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से गणना की गई प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरे किए जाते हैं।

**सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग से संबंधित पैरा में संशोधन किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)  
**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th January, 2019

**No. 70 /2015-2020**

**Subject: Amendments in Hand Book of Procedures of FTP 2015-2020, related to Facility of Clubbing of Authorisations.**

**F. No. 01/94/180/384/AM19/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Para 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade, in public interest, makes the following amendments in Hand Book of Procedures 2015-2020:

2. Para 4.38 of HBP 2015-10 is amended to read as under:

Para 4.38 Facility of Clubbing of Authorisations:

- (i) No clubbing of Authorisations issued on or before 31<sup>st</sup> March, 2009 shall be allowed.
- (ii) Request for clubbing shall be made in ANF - 4C to the concerned RA who has issued the Authorisations.
- (iii) Facility of clubbing of Advance Authorisations shall be available only for redemption / regularisation of such Authorisations and no further import or export shall be allowed.
- (iv) Facility of clubbing shall also be available for Advance Authorisations for Annual Requirement issued during Foreign Trade Policy period 2009-14 and 2015-20, wherever exports and imports have taken place as per Standard Input Output Norms (SION) notified.
- (v) Only Authorisations under which similar duty exemption has been availed shall only be allowed to be clubbed. Such Authorisations may pertain to different financial years.
- (vi) Only such Authorisations shall be clubbed which have been issued within 18 months from the date of issue of earliest authorisation that is sought to be clubbed, whether such authorisations are valid or not. This is further subject to condition that upon clubbing only imports made within 30 months from the date of issue of earliest authorisation shall be considered. Any imports made beyond 30 months of earliest authorisation shall be regularised under Para 4.49 of the HBP.
- (vii) Exports made during initial or extended EO period of individual authorisations (after payment of composition fee as per provisions of Para 4.42 of HBP) shall be clubbed.
- (viii) Upon clubbing, if shortfall in value or quantity is noticed, the same shall be regularized under the provisions of Para 4.49 of HBP 2015-20.
- (ix) Clubbing of Authorisations issued with different EO periods shall also be allowed.
- (x) Inputs which are common in all authorisations shall be clubbed and duty free inputs shall be accounted for as per SION/ad-hoc norms fixed by NC. In other words all inputs covered in all authorisations need not be same.
- (xi) Minimum value addition as prescribed in FTP and Procedures for the export product will be required to be maintained on clubbing.
- (xii) After clubbing, Authorisations shall for all purposes, be deemed to be one Authorisation. The value addition would be calculated on the basis of total CIF and total FOB arrived at after clubbing the Authorisations.
- (xiii) All cases clubbed, as per earlier provisions would not be reopened.
- (xiv) No clubbing shall be permitted in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud have come to the notice of RA. Further, no clubbing of Authorisations, where EODC/redemption letter has already been issued or adjudication orders have already been passed by RA/Customs Authority, shall be permitted.
- (xv) Additional provisions for clubbing of Authorisations covered under Appendix-30A (issued under FTP 2009-14) / Appendix-4J (issued under FTP 2015-20) and Authorisations issued with EOP less than 18 months:
  - (a) Export obligation period of clubbed Authorisations shall be reckoned from the date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.
  - (b) Clubbing of such Authorisations shall be allowed provided all exports are completed within initial/extended Export Obligation period reckoned from date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.

Effect of Public Notice: Para related to Clubbing of Authorisations has been amended.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.